इससे पहले एम. एम. कुमार, ए. सी. जे., राजीव नारायण रैना, जे. जे. आई. नारायण जाखर,-याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य,-2009 का उत्तरदाता सी. डब्ल्यू. पी. सं. 18110

19 अक्टूबर, 2011

भारत का संविधान-Art.14 और 226-हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956-धारा 6-पूर्व सैनिकों/उनके आश्रितों को आश्रित प्रमाण पत्र जारी करने के लिए हरियाणा सरकार की नीति-खंड (च)-भारतीय नौसेना से सेवानिवृत्त याचिकाकर्ता ने अपनी विवाहित बेटी को आश्रित प्रमाण पत्र देने से जिला सैनिक बोर्ड के इनकार को चुनौती दी, जो कमाई नहीं कर रही थी-खंड (च) एक विवाहित बेटे और एक विवाहित बेटी के बीच अंतर करता है, जिसके पास आजीविका का स्वतंत्र स्रोत नहीं है-क्या एक विवाहित बेटी को आश्रित प्रमाण पत्र देने पर रोक है, जब एक विवाहित बेटे को ऐसा प्रमाण पत्र दिया जा सकता है, तो यह संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है-इसमें कोई स्पष्ट अंतर नहीं है और न ही इस अंतर में कोई तर्कसंगत अंतर है।

आयोजित, नीति का खंड (च) दिनांकित 11.10.2001 (पी-1) इस प्रकार है

इसके अंतर्गतः-

"(च) पूर्व सैनिकों का विवाहित आश्रित बेटा, जिसके पास आजीविका का स्वतंत्र स्रोत नहीं है, भी आश्रित प्रमाण पत्र के लिए पात्र होगा। पूर्व सैनिकों की विवाहित बेटी आश्रित प्रमाण पत्र के लिए पात्र नहीं है। (इटालिक्स हमारे द्वारा)।

नीति में उपरोक्त प्रावधान की संविधान के अनुच्छेद 14 के आधार पर जांच की जानी आवश्यक है। वर्गीकरण से संबंधित अनुच्छेद 14 की शास्त्रीय परीक्षा अच्छी तरह से तय की गई है। यह देखना सरल है कि अनुच्छेद 14 वर्ग विधान को मना करता है लेकिन यह विशिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से राज्य द्वारा व्यक्तियों, उद्देश्यों और लेनदेन

के उचित वर्गीकरण को मना नहीं करता है।हालांकि, वर्गीकरण मनमाना, कृत्रिम और 27 नहीं होना चाहिए।

जय नारायण जाखर बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

(एम. एम. कुमार, एसीजे)

टालना (पश्चिम बंगाल राज्य बनाम अनवर अली सरकार, ए. आई. आर. 1952 एस. सी. 75 देखें)।यह हमेशा कुछ वास्तविक और पर्याप्त अंतर पर आधारित होना चाहिए जो विधायिका द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के साथ एक न्यायसंगत और उचित संबंध रखता है।उचित होने के लिए वर्गीकरण को निम्नलिखित दो शर्तों को पूरा करना चाहिए-(1) वर्गीकरण को एक बोधगम्य अंतर पर आधारित होना चाहिए जो उन व्यक्तियों या चीजों को अलग करता है जो समूह से बाहर रखे गए अन्य लोगों से एक साथ समूहबद्ध हैं; और

(2) अधिनियम द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के साथ भेद का तर्कसंगत संबंध होना चाहिए।

भेद जो वर्गीकरण का आधार है और नीति का उद्देश्य दो अलग-अलग चीजें हैं।आवश्यक बात यह है कि वर्गीकरण के आधार और वर्गीकरण करने वाली नीति के उद्देश्य के बीच एक संबंध होना चाहिए।यह केवल तभी है जब किसी वर्गीकरण के लिए कोई उचित आधार नहीं है कि इस तरह के वर्गीकरण करने वाले कानून को भेदभावपूर्ण घोषित किया जा सकता है।

(पैरा 6,7 और 8) इसके अलावा यह अभिनिर्धारित किया गया कि नीति के उपरोक्त खंड (च) में, पूर्व सैनिकों के विवाहित बेटे, जिनके पास आजीविका का स्वतंत्र स्रोत नहीं है, को पूर्व सैनिक पर निर्भर माना जाता है और एक सक्षम प्राधिकारी से इस तरह के प्रमाण पत्र का हकदार माना जाता है, जबकि एक बेटी को लाभ से बाहर रखा गया है।एक बार जब बेटे और बेटी दोनों के विभिन्न कारक समान हो जाते हैं तो वर्गीकरण का कोई आधार नहीं होता है।यदि दोनों ही मामलों में सामान्य कारक बेरोजगारी और आय के स्वतंत्र स्रोत की कमी है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह बेटा है या बेटी।'विवाहित होने और आजीविका के स्वतंत्र स्रोत की कमी' के सामान्य कारक दोनों मामलों में मौजूद हैं और जो दोनों को एक ही पायदान पर रखते हैं।इसलिए, यह अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करेगा और विवाहित बेटी के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार करने के बराबर होगा, जो आजीविका के स्वतंत्र स्रोत के बिना है और नौकरी हासिल करने के लिए

अपने आश्रित प्रमाण पत्र से वंचित है क्योंकि वह अपने पिता की उतनी ही अच्छी संतान है जितनी आय के स्वतंत्र स्रोत के बिना विवाहित बेटे की।विवाहित बेटी के साथ इस आधार पर किए गए भेदभावपूर्ण व्यवहार को उचित ठहराने के लिए कि वह अपने पति पर निर्भर है, किसी भी विस्तृत विचार की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि आश्रित विवाहित बेटे के मामले में भी आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा की कोई शर्त नहीं है।

2012(2)

28

यह अधिरोपित किया कि उसकी पत्नी को कमाई नहीं करनी चाहिए।ऐसा लगता है कि आजीविका के स्वतंत्र स्रोत पर जोर दिया जा रहा है, एक ऐसी विशेषता जो विवाहित बेटी के मामले में भी मौजूद होगी।इसलिए, हमें उपरोक्त तर्क को अस्वीकार करने में कोई संकोच नहीं है।

(पैरा 9)

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता विवेक खत्री ने कहा।

कुलवीर नरवाल, एडिशनल।ए. जी., हरियाणा, प्रतिवादी के लिए।

एम. एम. कुमार, एसीजी। सी जे।

(1) संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर इस याचिका में जिला सैनिक बोर्डों द्वारा पूर्व सैनिकों/उनके आश्रितों को रोजगार के लिए आश्रित प्रमाण पत्र जारी करने के लिए प्रतिवादी हरियाणा राज्य द्वारा बनाई गई दिनांकित 11.10.2001 (P-1) नीति को रद्द करने की मांग की गई है।याचिकाकर्ता ने अपनी विवाहित बेटी को आश्रित प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अपने आवेदन को खारिज करने वाले 27.10.2009 (P-3) के आदेश को भी चुनौती दी है।इसके अलावा प्रतिवादी को याचिकाकर्ता को उसकी बेटी के लिए आश्रित प्रमाण पत्र जारी करने का निर्देश देने की मांग की गई है।

(2) मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि आई. डी. 1 पर, सचिव, राज्य सैनिक बोर्ड, हरियाणा-प्रत्यर्थी संख्या 2 ने पूर्व सैनिकों और उनके बच्चों को सरकार के विभिन्न विभागों (पी-1) में रोजगार के उद्देश्य से आश्रित प्रमाण पत्र जारी करने के लिए नीति/दिशानिर्देश जारी किए।नीति/दिशानिर्देश (पी-1) के खंड (एफ) के अनुसार, पूर्व

सैनिकों का एक विवाहित आश्रित बेटा, जिसके पास आजीविका का स्वतंत्र स्रोत नहीं है, आश्रित प्रमाण पत्र के लिए पात्र है, लेकिन एक पूर्व सैनिक की विवाहित बेटी ऐसे आश्रित प्रमाण पत्र के लिए पात्र नहीं है।

(3) 20.10.2009 पर, याचिकाकर्ता ने अपनी विवाहित बेटी के लिए आश्रित प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सचिव, जिला सैनिक बोर्ड, हिसार-प्रत्यर्थी संख्या 3 के पास एक आवेदन दायर किया।आवेदन में विशेष रूप से कहा गया था कि उनकी बेटी सुश्री विजयंती जाखर नी विजयंती सुहाग आवेदन जमा करने की तारीख को बेरोजगार हैं। याचिकाकर्ता ने आगे कहा कि नौसेना से सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें कभी भी राज्य/केंद्र सरकार के विभाग में फिर से नियुक्त नहीं किया गया।आवेदन के समर्थन में याचिकाकर्ता की बेटी के गैर-रोजगार के संबंध में एक शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया था (पी-2)।

(4) 27.10.2009 (P-3) पर, सचिव-प्रतिवादी संख्या 3 ने इस आधार पर आश्रित प्रमाण पत्र जारी करने के लिए याचिकाकर्ता के आवेदन को खारिज करते हुए एक आदेश पारित किया कि उसकी बेटी विजयंती जाखर विवाहित है और वह दिनांकित 11.10.2001 (P-1) नीति/दिशानिर्देशों के संदर्भ में आश्रित प्रमाण पत्र की हकदार नहीं है।दिनांकित 27.10.2009 आदेश से व्यथित होकर, याचिकाकर्ता ने तत्काल याचिका दायर की है।

(5) प्रतिवादी संख्या 1 से 3 द्वारा दायर लिखित बयान में लिया गया प्राथमिक रुख यह है कि एक विवाहित बेटी अपने पति पर निर्भर होगी न कि अपने पिता पर, इसलिए, दिनांक 11.10.2001 (P-1) की नीति में पूर्व सैनिकों की एक विवाहित बेटी को आश्रित प्रमाण पत्र का हकदार नहीं ठहराया गया है और याचिकाकर्ता द्वारा दायर आवेदन को सही ढंग से खारिज कर दिया गया है।प्रतिवादी के अनुसार दिनांकित 11.10.2001 (P-1) पॉलिसी के खंड (f) द्वारा प्रदान की गई शर्त में कोई अस्पष्टता नहीं है।

(6) पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को विस्तार से सुनने और उनकी समर्थ सहायता के साथ पेपर बुक को पढ़ने के बाद हमारा विचार है कि तत्काल याचिका स्वीकृति के योग्य है। जब हम दिनांक 1 (पी-1) की नीति के आक्षेपित खंड (एफ) की जांच करते हैं, तो यह स्पष्ट होता है कि यह पूर्व सैनिकों के विवाहित आश्रित बेटे को आश्रित प्रमाण पत्र का

लाभ देता है, जिनके पास आजीविका का स्वतंत्र स्रोत नहीं है, लेकिन इसमें पूर्व सैनिकों की विवाहित बेटी को इस तरह के लाभ से बाहर रखा गया है।दिनांकित 11.10.2001 (P-1) पॉलिसी का खंड (f) इस प्रकार हैः- "(च) पूर्व सैनिकों का विवाहित आश्रित बेटा, जिसके पास आजीविका का स्वतंत्र स्रोत नहीं है, भी पात्र होगा।

आश्रित प्रमाण पत्र।पूर्व सैनिकों की विवाहित बेटी आश्रित प्रमाण पत्र के लिए पात्र नहीं होती है।" (इटालिक्स हमारे द्वारा)

(7) नीति में उपरोक्त प्रावधान की संविधान के अनुच्छेद 14 के आधार पर जांच की जानी आवश्यक है।वर्गीकरण से संबंधित अनुच्छेद 14 की शास्त्रीय परीक्षा अच्छी तरह से तय की गई है।यह देखना सरल है कि अनुच्छेद 14 वर्ग विधान को मना करता है लेकिन यह विशिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से राज्य द्वारा व्यक्तियों, उद्देश्यों और लेनदेन के उचित वर्गीकरण को मना नहीं करता है।हालाँकि, वर्गीकरण मनमाना, कृत्रिम और टालमटोल वाला नहीं होना चाहिए (पश्चिम बंगाल राज्य बनाम अनवर अली सरकार (1) देखें।यह हमेशा कुछ वास्तविक और महत्वपूर्ण अंतरों पर आधारित होना चाहिए।

(1) एयर 1952 एससी 75 आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

विधायिका द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के लिए एक न्यायपूर्ण और उचित संबंध। वर्गीकरण को उचित होने के लिए निम्नलिखित दो शर्तों को पूरा करना होगा -

(1) वर्गीकरण एक बोधगम्य अंतर पर आधारित होना चाहिए जो उन व्यक्तियों या चीजों को अलग करता है जो समूह से बाहर रह गए अन्य लोगों से एक साथ समूहीकृत हैं; और

(2) अधिनियम द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के साथ भेद का तर्कसंगत संबंध होना चाहिए।

(8) भेद जो वर्गीकरण का आधार है और नीति का उद्देश्य दो अलग-अलग चीजें हैं। आवश्यक बात यह है कि वर्गीकरण के आधार और वर्गीकरण करने वाली नीति के उद्देश्य के बीच एक संबंध होना चाहिए।यह केवल तभी है जब किसी वर्गीकरण के लिए कोई

उचित आधार नहीं है कि इस तरह के वर्गीकरण करने वाले कानून को भेदभावपूर्ण घोषित किया जा सकता है।

(9) पॉलिसी के उपरोक्त खंड (च) में, पूर्व सैनिकों के विवाहित बेटे, जिनके पास आजीविका का स्वतंत्र स्रोत नहीं है, को एक पूर्व सैनिक का आश्रित माना जाता है और एक सक्षम प्राधिकारी से ऐसे प्रमाण पत्र का हकदार माना जाता है, जबकि एक बेटी को लाभ से बाहर रखा गया है।एक बार जब बेटे और बेटी दोनों के विभिन्न कारक समान हो जाते हैं तो वर्गीकरण का कोई आधार नहीं होता है।यदि दोनों ही मामलों में सामान्य कारक बेरोजगारी और आय के स्वतंत्र स्रोत की कमी है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह बेटा है या बेटी।'विवाहित होने और आजीविका के स्वतंत्र स्रोत की कमी' के सामान्य कारक दोनों मामलों में मौजूद हैं और जो दोनों को एक ही पायदान पर रखते हैं।इसलिए, यह अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करेगा और विवाहित बेटी के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार करने के बराबर होगा, जो आजीविका के स्वतंत्र स्रोत के बिना है, उसे नौकरी प्राप्त करने के लिए एक आश्रित प्रमाण पत्र से वंचित करके क्योंकि वह अपने पिता की उतनी ही अच्छी संतान है जितनी आय के स्वतंत्र स्रोत के बिना विवाहित बेटे की।विवाहित बेटी के साथ इस आधार पर किए गए भेदभावपूर्ण व्यवहार को उचित ठहराने के लिए कि वह अपने पति पर निर्भर है, किसी भी विस्तृत विचार की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि आश्रित विवाहित बेटे के मामले में भी कोई शर्त नहीं लगाई गई है कि उसकी पत्नी कमाई नहीं कर रही होगी।ऐसा लगता है कि आजीविका के स्वतंत्र स्रोत पर जोर दिया जा रहा है, एक विशेषता जो 31 में मौजूद होगी।

चरण सिंह और एक अन्य बनाम अमर सिंह

और अन्य (राम चंद गुप्ता, जे.)

शादीशुदा बेटी का भी मामला।इसलिए, हमें उपरोक्त तर्क को अस्वीकार करने में कोई संकोच नहीं है।इसके अलावा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की खंड 6 में एक संशोधन द्वारा संशोधन किया गया है और अब एक सह-भागीदार की बेटी को सह-पक्षीय संपत्ति में उतने ही अधिकार और देनदारियां हैं जितनी वह एक बेटा होती।

(10) उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, तत्काल याचिका की अनुमति है।इटैलिक में दिखाए गए नीति के खंड (च) के अपमानजनक भाग को संविधान के अनुच्छेद 14 के अधिकार क्षेत्र अधिकारातीत घोषित किया गया है और खंड (च) को निम्नानुसार पढ़ा जाएगाः“(च) विवाहित आश्रित बेटा या पूर्व सैनिकों की विवाहित बेटी जिनके पास आजीविका का स्वतंत्र स्रोत नहीं है, वे भी आश्रित प्रमाण पत्र के लिए पात्र होंगे।

प्रतिवादी को निर्देश दिया जाता है कि वे याचिकाकर्ता को उसकी बेटी के लिए आश्रित प्रमाण पत्र जारी करें, बशर्ते वह अन्य शर्तों को पूरा करे।(11) रिट याचिका का निपटारा उपरोक्त शर्तों में किया जाता है।

पी. एस. बाजवा

राम चंद गुप्ता से पहले, जे.

चरण सिंह और अन्य,-अपीलार्थी

बनाम

अमर सिंह और अन्य,-1994 का उत्तरदाता आर. एस. ए. No.1013

31 सेंट अक्टूबर, 2011

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908-S.100, O. 41 Rl.47-पंजाब न्यायालय अधिनियम, 1918-S. 41-पंजीकरण अधिनियम, 1908-S. 17 (2) (vi)-भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872-S. 14-1994 से लंबित अत्यधिक विलंबित अपील के लिए वर्ष 2006 में दायर आवेदन-बिना किसी योग्यता के आवेदन-खारिज कर दिया गया।

अभिनिर्धारित किया कि इस न्यायालय का विचार है कि अपीलार्थियों को इस विलंबित चरण में साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं है।मुकदमा वर्ष 1986 से लंबित है।अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए ऐसा कोई आवेदन नहीं था

अस्वीकरण:- स्थानिया भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सिमित प्रयोग के लिए है ताकि अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इस का उपयोग नहीं किया जा सकता। सभी व्हावीरिक एवं आधारिक उद्येश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण परमानिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

gurvinder kaur